

पत्रांक :-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024...../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

केन्द्रांश एवं राज्यांश

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक

विषय:-

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction के अंतर्गत आवंटित राशि में से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा प्रत्यार्पण के फलस्वरूप प्राप्त राशि रु0 9,53,98,152/- (नौ करोड़ तिरपन लाख अंठानवे हजार एक सौ बावन रूपये) मात्र भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 54/बजट दिनांक 05.06.2024 एवं पत्रांक 53/बजट दिनांक 05.06.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction के अंतर्गत आवंटित राशि में से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNEDN046) के द्वारा प्रत्यार्पण के फलस्वरूप प्राप्त राशि रु0 9,53,98,152/- (नौ करोड़ तिरपन लाख अंठानवे हजार एक सौ बावन रूपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है-

क्र०	DDO एवं कोड	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	श्री मनौवर आलम, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNSCT001)	21C22020310279010678	2,87,10,390.00
		21C22020378979010678	1,82,28,000.00
		21C22020379679010678	1,03,00,500.00
		21S22020310279010678	1,91,40,262.00
		21S22020378979010678	1,21,52,000.00
		21S22020379679010678	68,67,000.00
	कुल योग -		9,53,98,152.00

2. केन्द्रांश के रूप में विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C22020310279010678, 21S22020310279010678)

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C22020378979010678, 21S22020378979010678)

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C22020379679010678, 21S22020379679010678) मद से किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

4. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 53/बजट एवं 54/बजट दिनांक 05.06.2024 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024...../रॉची, दिनांक-...../2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024...355/रॉची, दिनांक-...21.03./2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रुसा/लेखा शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा निदेशालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवृत्त आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/RUSA-SNA01/24/355/BUDGET

दिनांक - 21-Mar-2025

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों की महायाना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	98979	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	19,140,262.00 रुपये एक करोड़ इनकानवे लाख चालीस हजार दो सौ बासठ
	Slate Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)		78 - पेंजी परिसम्पत्ति के सजन हेत अनुदान	
2	C 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों की महायाना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme	98983	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	28,710,390.00 रुपये दो करोड़ सित्पारसी लाख दस हजार तीन सौ नव्वे
	Slate Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)		78 - पेंजी परिसम्पत्ति के सजन हेत अनुदान	
3	S 21 22020378979010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पठक योजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	98975	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	12,152,000.00 रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख पावन हजार
	Slate Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)		78 - पेंजी परिसम्पत्ति के सजन हेत अनुदान	

योग: रुपये छः करोड़ दो हजार छः सौ बावन

60,002,652.00

(RAMNIWAS YADAV)

DIRECTOR

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	C 21 22020378979010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पठक योजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme	98985	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	18,228,000.00 रुपये एक करोड़ वयासी लाख अठानवे हजार
	Slate Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)		78 - पैंजी परिसम्पत्ति के मजन हेतु अनुदान	
5	S 21 22020379679010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	98982	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	6,867,000.00 रुपये अडसठ लाख सड़सठ हजार
	Slate Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)		78 - पैंजी परिसम्पत्ति के मजन हेतु अनुदान	
6	C 21 22020379679010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme	98987	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	10,300,500.00 रुपये एक करोड़ तीन लाख पोंच सौ
	Slate Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)		78 - पैंजी परिसम्पत्ति के मजन हेतु अनुदान	

योग:

रुपये नौ करोड तीरपन लाख अठानवे हजार एक सौ बावन

35,395,500.00

क्रमिक योग:

(RAMNIWAS YADAV)

95,398,152.00